न्यायालय–वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बीकानेर।

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश नायक, आर0जे0एस0

मूल दिवानी सं0–39/2016

जेठू सिंह आदि बनाम संभागीय मुख्य वन संरक्षक आदि

05.03.2020

वकुलाय पक्षकारान उपस्थित।

बहस सुनी गई।

इस आदेश के द्वारा विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 11 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 07.11.2016 का निस्तारण किया जा रहा है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने चारागाह भूमि से संबंधित वाद प्रस्तुत किया है जिसके जवाब में प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि में चारागाह विकास योजना के तहत सेवण घास व कुछ पौधे लगाने के तथ्य अंकित किए है। प्रतिवादीगण से वादीगण इस प्रार्थना–पत्र के निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में जानना चाहते हैं:–

1–वर्तमान में विवादित भूमि पर चारागाह विकास योजना के तहत कार्य चल रहा है अथवा नहीं?

2–क्या विवादित भूमि पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात् चारागाह भूमि में पशुओं को चरने के लिए तारबन्दी हटा दी गई है?

3–क्या चारागाह भूमि पर संरपच को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने का कानूनी अधिकार है?

4–वर्तमान में चारागाह भूमि की क्या स्थिति है?

अंत में उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर प्रतिवादीगण से दिलवाए जाने का निवेदन किया है।

नकल प्रार्थना–पत्र विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलवाई गई, जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा आदेश 1 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 09.06.2016 को पेश किया था। वादीगण पशु धन रखने वाले ग्रामीण है तथा आराजीराज भूमि उनके पशुओं को चराने के काम आती है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि उनके द्वारा आराजीराज भूमि में सेवण घास लगाकर चरने लायक बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में खेजड़ी, बेर, रोहिड़ा आदि के वृक्ष

लगाकर क्षेत्र को हराभरा किया जा रहा है तथा पौधे व घास विकसित होने तक कुछ वर्षो तक इस क्षेत्र को पशु चराने से बंद रखा जावेगा, विकसित होने पर पुनः सुपुर्द कर दिया जावेगा, इसमें ग्रामवासी पशु चरा सकेंगे। चूंकि वादीगण द्वारा यह वाद दिनांक 09.06.2016 को पेश किया था तथा प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा दिनांक 11.07.2016 को पेश किया है। ऐसे में लगभग पौने चार साल की अवधि गुजरने के बाद आज उक्त आराजीराज भूमि की क्या स्थिति है, इस संबंध में प्रतिवादीगण का प्रकटीकरण प्राप्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान् अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांकित 07.11.2016 आदेश 11 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि वे निम्नांकित प्रश्नों 1–वर्तमान में विवादित भूमि पर चारागाह विकास योजना के तहत कार्य चल रहा है अथवा नहीं? 2–क्या विवादित भूमि पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात् चारागाह भूमि में पशुओं को चरने के लिए तारबन्दी हटा दी गई है? 3–क्या चारागाह भूमि पर संरपच को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने का कानूनी अधिकार है?4–वर्तमान में चारागाह भूमि की क्या स्थिति है? का लिखित में उत्तर प्रस्तुत कर प्रकटीकरण करें।

पत्रावली वास्ते पेश होने प्रश्नों का प्रकटीकरण दिनांक .....को पेश हो।

(ओम प्रकाश नायक)